षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

<u>दैनिक विवरणिका</u>

संख्या-21 बृहस्पतिवार, दिनांक-31 मार्च, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अप० तक ।

[1] <u>शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान</u> :-

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शपथ ग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ हुई जिसमें श्री अनंत कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-178, मोकामा ने शपथ ग्रहण किया ।

[2] <u>प्रश्नोत्तर काल</u> :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 15 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iii) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।
(iv) 124 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] <u>अन्य चर्चा</u> :-

आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि 02 अप्रील 2016 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, बिहार शाखा की बैठक है इसमें आप सभी भाग लें और जो इसके सदस्य नहीं हैं वे भी सदस्य बन सकते हैं क्योंकि इसमें आजीवन सदस्यता का प्रावधान है । उक्त बैठक में हम सभी माननीय सदस्यों की राय बनी है कि हमलोग उस दिन सामूहिक रक्तदान भी करेंगे । रक्तदान अपने प्रदेश के रूग्ण एवं जरूरतमंद लोगों की बड़ी सेवा होगी । पुनः अनुरोध है कि 02 अप्रील को बैठक एवं सामूहिक रक्तदान के कार्यक्रम में अवश्य हिस्सा लें ।

इस विषय पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रेम कुमार, श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स०, एवं माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इस विषय में अपने विचार व्यक्त किये एवं इस आयोजन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया ।

[4] <u>कार्यस्थगन</u> :-

माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री विद्या सागर केशरी, श्री (डॉ०) सुनील कुमार, श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जिवेश कुमार एवं

श्री विजय कुमार सिन्हा से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

[5] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री संजय सरावगी
(ii) श्री (डॉ०) सुनील कुमार
(iii) श्री मिथिलेश तिवारी
(iv) श्री यदुवंश कुमार यादव
(v) श्री मो० नवाज आलम
(vi) श्री विनोद कुमार सिंह
(vii) श्री विनोद प्रसाद यादव
(viii) श्री अशोक कुमार सिंह
(ix) श्री सुबोध राय
(x) श्री संजीव चौरसिया
(xi) श्री मो० नेमतुल्लाह
(xii) श्री राणा रणधीर
(xiii) श्री केदार प्रसाद गुप्ता
(xiv) श्री ललन पासवान
(xv) श्रीमती पूनम देवी यादव
(xvi) श्री मुद्रिका सिंह यादव
(xvii) श्री अशोक कुमार सिंह
(xviii) श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा
(xix) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
(xx) श्री विजय कुमार खेमका
(xxi) श्री वशिष्ठ सिंह
(xxii) श्री विजेश कुमार
(xxiii) श्रीमती भागीरथी देवी
(xxiv) श्री अनी मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव
(xxv) श्री रामदेव राय
(xxvi) श्री सत्यदेव राम
(xxvii) श्री विद्या सागर केशरी
(xxviii) श्री (डॉ०) चतुर्भुज नाथ गुप्ता
(xxix) श्री अचमित ऋषिदेव
(xxx) श्री सरोज यादव
(xxxi) श्री विजय कुमार सिन्हा

[6] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना अपृष्ठ हुआ ।

(ii) माननीय सदस्य श्री सदानंद सिंह का जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[7] अन्य चर्चा :-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रेम कुमार द्वारा छात्रवृत्ति में हुये घोटाले की जाँच कराने की माँग सरकार से की गयी ।

"माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि इसकी जाँच त्वरित गति से निगरानी द्वारा करायी जा रही है तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी ।"

[8] प्रस्ताव :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं प्राक्कलन समिति का वर्ष 2016-17 के गठन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा को अधिकृत करने एवं इन समितियों के सहकारी सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, तीन एवं छः माननीय सदस्यों को मनोनीत करने के लिए बिहार विधान परिषद् को अधिकृत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-4(i), 4(ii), 5(2), 6(1)(ii), 6(3)(क), 6(5), 7, 21(1), 23,

82(2), 83(2), 145, 167, 176(5), 220(1), 225(11), 231(7), 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 256, 258, 272(2), 292(क)(3), 292(क)(3)(ख) एवं 292(च)(iii)(ग) में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित षोडश बिहार विधान सभा की नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन दिनांक 29.03.2016 को सदन पटल पर रखा गया था । नियमावली के नियम-287(3) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध किया गया, जो सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

[9] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-93(3) एवं 99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-37, 38, दिनांक-17.02.2016/एस.ओ. 32, 33, दिनांक-08.02.2016/एस.ओ.-22, 23, दिनांक- 02.02.2016/एस.ओ.-8, 9, 10, 11, 12, 13, दिनांक-13.01.2016/एस.ओ.-03, दिनांक-15.01.2015/एस.ओ.-10, 12, 14, दिनांक-22.01.2015/एस.ओ.-21, दिनांक-09.03.2015/एस.ओ.-66, दिनांक-28.04.2015/ अधिसूचना संख्या-3605, दिनांक 10.07.2015/एस.ओ.-167, दिनांक-21.07.2015/एस.ओ.-190, दिनांक-27.08.2015/एस.ओ.-211, दिनांक 08.09.2015 / अधिसूचना संख्या-5922, दिनांक-07.10.2015/ एस.ओ.-205, 207, 209, दिनांक 03.09.2015/एस.ओ.-209 का शुद्धि पत्र ज्ञापांक-5049, दिनांक-08.09.2015/एस.ओ.-189, दिनांक 03.08.2015/एस.ओ.-357, दिनांक-14.12.2015/ अधिसूचना संख्या-7022, दिनांक-18.12.2015/एस.ओ.-504, दिनांक-03.02.2014/अधिसूचना संख्या-478, दिनांक-11.02.2013/617, दिनांक-25.02.2013/988, दिनांक-22.03.2013/1161, 1162, दिनांक-08.04.2013/1193, 1203, 1204, दिनांक-10.04.2013/1506, 1509, दिनांक- 12.04.2012/5312, दिनांक-04.07.2012/7571, 7572, दिनांक-27.12.2012/ अधिसूचना संख्या-7571 का शुद्धि पत्र सं०-214, दिनांक-22.01.2013/5350, दिनांक-05.07.2012/5410, दिनांक-11.07.2012/5441, दिनांक-12.07.2012/6083, दिनांक-29.08.2012/6528, 6529, दिनांक 03.10.2012/6598, दिनांक-08.10.2012/6888, दिनांक-30.10.2012/7275, दिनांक-06.12.2012 एवं 7276, दिनांक- 06.12.2012 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया, जो सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखा रहेगा ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-26, 27 दिनांक 02.02.2016/एस.ओ.- 74, दिनांक-15.05.2015 तथा एस.ओ.-219 एवं 220 दिनांक-27.11.2012 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया, जो सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखा रहेगा ।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-18(2) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.- 28, 29, 30 एवं 31 दिनांक 02.02.2016 तथा एस.ओ.-217 दिनांक-21.11.2012 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया, जो सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखा रहेगा ।

(iv) माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 दिनांक-20.01.2016/एस.ओ.-169, दिनांक-21.07.2015/ एस.ओ.-76, दिनांक-15.05.2015/ एस.ओ.-64, दिनांक- 28.04.2015 तथा एस.ओ.-62, दिनांक 28.04.2015 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया, जो सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखा रहेगा ।

(v) माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 19(2) के तहत् बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(vi) माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति श्री हरिनारायण सिंह द्वारा समिति का 183वाँ प्रतिवेदन को सभा मेज पर रखा गया ।

तदोपरान्त सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

(02.00 बजे अप० से 2.58 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[10] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय विधेयक</u> :-

(i) <u>बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, विधेयक, 2016</u> :-

गृह विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री) श्री नीतीश कुमार द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

गृह विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री) श्री नीतीश कुमार द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी द्वारा भी पक्ष रखा गया ।

गृह विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री) श्री नीतीश कुमार द्वारा विस्तार से विधेयक के संबंध में पक्ष रखा गया । विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) <u>बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा इस पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी का खंड 3 में सात संशोधन, खंड-1 में एक संशोधन एवं प्रस्तावना में संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा भी विधेयक के संबंध में अपना पक्ष रखा ।

विधेयक ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[11] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-31 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 01 अप्रील, 2016 को 09.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-31 मार्च, 2016

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।